FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0271   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 15/10/2025 18:59 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 10/10/2025   Date To (दिनांक तक): 13/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 12:05 बजे   Time To (समय तक): 16:36 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 15/10/2025   Time (समय): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 15/10/2025 18:59:24 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 40 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): PATAYARI KI DUNGARI, MAHATMA JYOTIBARAOV PHULE, PARK RAJGARH ALWAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DHARAM SINGH MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): KANHAIYA LAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1989 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VIKAS COLANY/RAIBARPURA ROAD, RAJGARH, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VIKAS COLANY/RAIBARPURA ROAD, RAJGARH, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMHET BAIRVA		पिता:DHANNA LAL	1. 1-G-15,KALA KUAN ALWAR,ALWAR,RAJASTHAN,IN

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		12,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 12,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर के समक्ष ब्यूरों कार्यालय अलवर मे दिनांक 10.10.2025 को वक्त करीब 12.05 पी.एम पर परिवादी श्री धर्म सिंह मीना पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति मीणा उम्र 36 साल निवासी विकास कॉलोनी, राजगढ अलवर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिसका मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री धर्म सिंह मीना को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री धर्म सिंह मीना ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि" मेरी धर्म पत्नि श्रीमती खेलन्ता के नाम से रेबारपुरा मोहल्ला धोला खोजा की कोठी राजगढ में वर्ष 2020 में रजिस्ट्री से 242 वर्गगज का प्लॉट खरीदा था। करीब 01 माह पूर्व उक्त प्लॉट का पटटा बनवाने के लिए मैनें नगर पालिका राजगढ में फाईल लगाई गई थी। नगर पालिका द्वारा उक्त पटटे के क्रम में दिनांक 03.10.2025 को 75978 रूपये पटटा राशि जमा कराने पर भी पटटा नहीं बनने पर मैं दिनांक 09.10.2025 को संबंधित बाबू श्री रामहेत बैरवा से मिला और मेरी पत्नी के नाम पटटा बनवाने की तथा मेरी पत्नी के नाम अन्य दूसरे प्लॉट के कन्वर्जन आदेश के लिए बातचीत की तो श्री रामहेत बैरवा ने मुझसे पटटा जारी करने के लिए 10000/-रूपये तथा अन्य दूसरे प्लॉट के कन्वर्जन आदेश देने के लिए 5000/-रूपया कुल 15000/-रूपये की रिश्वत की मांग की और मुझसे कहा कल सुबह आके मिलना इस पर दिनांक 10.10.2025 को श्री रामहेत बाबू से सुबह दुबारा मिला तो उसने मुझसे 3000/-रूपया रिश्वत के ले लिए और पटटा जारी करने के लिए 10000/-रूपया तथा दूसरे प्लॉट के कन्वर्जन आदेश के लिए 2000/-रूपया कुल 12000/-रूपया रिश्वत की ओर मांग की, मैं रामहेत बाबू नगर पालिका को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरी पत्नी के नाम प्लॉट की रजिस्ट्री व मेरा आधार कार्ड, पटटा शुल्क जमा करवाने की रसीद की स्वयं के हस्ताक्षर की मूल प्रति पेश कर रहा हूं। कृपया कानूनी कार्यवाही करे तथा पूछताछ करने पर यह भी बताया कि श्रीमान मेरी श्री रामहेत बाबू से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा ना ही कोई उधार लेन-देन भी बकाया है। परिवादी ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाये जाने पर वक्त करीब 2.10 पी.एम पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर परिवादी श्री धर्म सिंह मीना को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री भगवान सिंह कानि. 125 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री रामहेत बाबू नगर पालिका, राजगढ के पास जाकर आरोपी बाबू से अपने काम के लिये रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा श्री रामहेत बाबू से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें साथ ही श्री भगवान सिंह कानि. को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री धर्म सिंह मीना को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। कानि0 को यह भी हिदायत दी गई रिश्वत मांग सत्यापन होने के बाद परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। परिवादी व कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये परिवादी श्री धर्म सिंह मीना की मोटर साईकिल से रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। तपश्चात वक्त करीब 5.30 पी.एम पर श्री भगवान सिंह कानि. 125 ने जरिये वाटसअप कॉल अवगत करवाया कि परिवादी श्री धर्म सिंह मीना ने गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवा दिया गया है और परिवादी से वार्ता करवाई गई तो परिवादी श्री धर्म सिंह मीना ने बताया कि आज मैं और आपका कर्मचारी श्री भगवान सिंह कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर राजगढ कस्बा पहूचे जहा मैनें किसी जानकार से फोन कर रामहेत बाबू नगर पालिका के बारे में जानकारी की तो आज बस स्टैण्ड पर लग रहे कैम्प में होना बताया जिस पर हम बस स्टैण्ड के पास पहूंचे जहां श्री भगवान सिंह कानि. ने अपने पास से डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर मुझे दे दिया जिसे मैं अपने पास रखकर बस स्टैण्ड पर लग रहे कैम्प के अन्दर गया तो रामहेत बाबू कुर्सी पर बैठा मिला जिससे मैनें मेरी पत्नी के नाम पटटे व

कन्वर्जन के संबंध में बातचीत की फिर वह मेरी पत्नी के नाम जमीन के पटटे व कन्वर्जन के कागजात के संबंध में मेरी मोटरसाईकिल से रवाना होकर नगर पालिका राजगढ ले गया तो रास्ते में मोटरसाईकिल पर ही मेरे से 15000/-रूपये की रिश्वत मांग की, जिसमें से पहले 3000 रूपये प्राप्त करने तथा बकाया रिश्वती राशि 12000/-रूपये सोमवार को देने के लिए कहा है। नगर पालिका राजगढ पहूंच कर रामहेत बाबू ने मेरी पत्नी की जमीन के कन्वर्जन ऑर्डर के कागज फाईल से निकाल कर फोटो कापी दे दी, उसके बाद नगर पालिका से मैं व रामहेत बाबू मेरी मोटरसाईकिल से वापिस बस स्टैण्ड कैम्प में आ गये। इसके बाद कैम्प में ही रामहेत बाबू ने मेरे को कन्वर्जन ऑर्डर के आदेश की कापी पर मोहर व साईन कर मुझे दे दिये उसके बाद रामहेत बाबू द्वारा उसे मेला का चौराहा पर छोडने की कहने पर मैं उसको मेरी मोटरसाईकिल से मेला का चौराहा राजगढ में छोडकर वापिस बस स्टैण्ड आ गया उक्त वार्ता को मैनें आपके टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। मैं, रामहेत बाबू से वार्ता करके आपके कर्मचारी के पास आया जिसे रिकॉर्डर चालू हालत में सुपुर्द किया जिसे उन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया। उक्त बातों की परिवादी के साथ गये श्री भगवान सिंह कानि. ने भी ताईद की। परिवादी को आरोपी बाबू को दी जाने वाली रिश्वत राशि साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय में आने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी रूपयो की व्यवस्था नहीं है व घर पर जरूरी कार्य है। मैं पैसों की व्यवस्था कर सोमवार को आपके कार्यालय में आ जाऊंगा। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री भगवान सिंह कानि. को परिवादी को वहीं छोडकर कार्यालय आने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 6.45 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ गया हुआ श्री भगवान सिंह कानि. ब्यूरों कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया और श्री भगवान सिंह कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात श्री भगवान सिंह कानि. ने बताया कि आज मैं और परिवादी श्री धर्म सिंह मीना कार्यालय से रवाना होकर कस्बा राजगढ पहूंचे जहां परिवादी ने किसी जानकार से फोन कर रामहेत बाबू नगर पालिका के बारे में जानकारी की तो आज बस स्टैण्ड पर लग रहे कैम्प में होना बताया जिस पर बस स्टैण्ड के पास पहूंचे जहां मैनें अपने पास से डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को दे दिया जिसे परिवादी अपने पास रखकर बस स्टैण्ड पर लग रहे कैम्प के अन्दर गया जिस पर मैं निगरानी रख रखा था करीब 02 घण्टे बाद परिवादी मेरे पास आया ओर डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू हालत में मुझे दिया जिसे मैनें बन्द कर मेरे पास सुरक्षित रख लिया, और बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन करवा दिया है। जिस पर मैनें जरिये वाट्सएप कॉल आपको बताया था व परिवादी से भी बातचीत करवाई थी। आप द्वारा परिवादी को आरोपी बाबू को दी जाने वाली रिश्वत राशि साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय में आने के लिए कहा तो परिवादी ने कहा था कि मेरे पास अभी रूपयो की व्यवस्था नहीं है व घर पर जरूरी कार्य है, पैसों की व्यवस्था कर सोमवार को आपके कार्यालय में आ जाऊंगा। जिस पर आपके निर्देशानुसार परिवादी को वहीं छोडकर कार्यालय आ गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी से संदिग्ध आरोपी बाबू द्वारा परिवादी की जमीन के पटटे व कन्वर्जन एवजं में वक्त रिश्वत मांग 15000/-रूपये की रिश्वत मांग की, जिसमें से पहले 3000 रूपये प्राप्त करने पर बकाया रिश्वती राशि 12000/-रूपये सोमवार को देने के लिए कहना पाया गया। उक्त रिकॉर्डर को मेरे कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। फर्द वापसी डिजीटल वॉईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात दिनांक 13.10.2025 वक्त करीब 8.45 ए.एम पर परिवादी श्री धर्म सिंह मीना एसीबी कार्यालय अलवर में उपस्थित आये और अवगत कराया कि साहब मैं रिष्वत में दी जाने वाली 12000/-रूपये साथ लेकर आया हूं। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पष्चात वक्त करीब 9.00 ए.एम पर श्री महेशचन्द कानि. चालक को मुख्य चिकित्सा व स्वास्थय अधिकारी, अलवर को जरिये पत्र दो सरकारी कर्मचारी ब्यूरों की गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह हेतु पाबन्द कर अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में लाने हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 9.30 ए.एम पर श्री महेशचन्द कानि. चालक मय कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थय अधिकारी, अलवर से दो गवाहान को लेकर हाजिर कार्यालय आये। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों गवाहान से अपना परिचय देकर नाम पता पूछने पर अपना नाम श्री संजय कटारिया पुत्र रमेष चन्द कटारिया, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अलवर व श्री राजन मीना पुत्र श्री कमल मीना कनिष्ठ सहायक, कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर होना बताया। जिन्हे कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री धर्म सिंह मीना का परिचय उपरोक्त दोनों गवाहान से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री धर्म सिंह मीना द्वारा दिनांक 10.10.2025 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री धर्म सिंह मीना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पष्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री रामहेत बैरवा, बाबू नगर पालिका राजगढ द्वारा मांगी जा रही रिष्वत राशी के सम्बन्ध में करवाये गये रिष्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया। तत्पष्चात उपरोक्त मौतबिरान एवं परिवादी श्री धर्मसिंह मीणा के समक्ष परिवादी श्री धर्मसिंह एवं संदिग्ध आरोपी श्री रामहेत बैरवा, बाबू, नगर पालिका राजगढ, जिला अलवर के मध्य दिनांक 10.10.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय रूबरू वार्ता के रिकॉर्डर में रिकार्डशुदा एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी

के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखा था। कार्यालय की आलमारी में मेरी निगरानी व निर्देशन में रखवाये गये राजकीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले हुये एसडी मैमोरी कार्ड सहित को आज दिनांक 13.10.2025 को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया जिसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई। वार्तालाप में परिवादी श्री धर्म सिंह मीणा ने अपनी स्वयं व संदिग्ध आरोपी श्री रामहेत बैरवा, बाबू, नगर पालिका राजगढ, जिला अलवर की आवाज की पहचान की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री धर्म सिंह मीणा ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के रिकॉर्डिंग फाईल के फोल्डर 01मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री धर्म सिंह मीणा के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क A1 A2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव के साथ पृथक-पृथक एक सफेद कागज चिट जिस पर सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A1 A2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A3 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 1.50 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री धर्मसिंह मीना पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति मीना, उम्र 36 साल निवासी विकास कॉलोनी (रैबार पुरा रोड) राजगढ अलवर को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने को कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 के 12 नोट कुल राशी 12000/-रूपये निकालकर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर को पेश किये उक्त नोटो को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा फर्द पेशकषी में अंकित करवाकर दोनो गवाहान से पुनः चैक करवाये गये तो उक्त नोटों के नम्बर चैक किये गये तो नोटां के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 12000/-रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री धर्मसिह मीणा की जामा तलाशी गवाह श्री संजय कटारिया से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 12,000/- रूपये को श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री धर्मसिंह के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाउडर युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ ना लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उसके देवे तथा आरोपी नोटो को प्राप्त कर कहा रखता है इसका पुरा पुरा ध्यान रखे और आरोपी को रिष्वत राशी प्राप्त करने के बाद कोई बहाना बनाकर सिर पर हाथ फेरकर या मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें साथ ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवष्यक हिदायत दी गई। उसके पश्चात एक डिस्पोजल गिलास में श्री भास्कर हैड कानि0 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व दोनो गवाहान तथा हाजरिन को फिनोफ्थलीन व सोडीयम कार्बोनेट के पाउडर की रसायनिक प्रतिक्रिया को महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया। जिस पर परिवादी श्री धर्मसिंह मीना दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को अपने हाथो से प्राप्त किया है। श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी का ढक्कन को बंद करवाकर कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया।इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं टैर्पपार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा टैर्प कार्यवाही में उपयोग में आने वाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास,

चम्मच आदि को श्री भास्कर हैड कानि. साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा टै्रप बॉक्स में रखवाया गया। सोडीयम कार्बोनेट की शीषी व अन्य साजो सामान को भी ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद परिवादी श्री धर्मसिंह मीना को छोडकर दोनो गवाहान ट्रेप पार्टी सदस्यो तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आपस में जामा तलाषी लिवाई गई जिसमें मोबाईल फोन एवं परिचय पत्र के अतिरिक्त कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। तत्पष्चात परिवादी को रिष्वत राशी लेन देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरों विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें दिनांक 10.10.2025 को हुई मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है के लगे हुये चालु व बंद करने की विधि पुनः समझाईस कर उक्त डिजिटव वाईस रिकॉर्डर को परिवादी धर्मसिंह मीना की पहनी हुई पेन्ट की बाई जेब रखवाया गया तथा श्री भगवान सिंह कानि. को आवष्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादी को रिष्वत राशी सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों का विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालुकर सुपुर्द कर रवाना करे। श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात वक्त करीब 2.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री संजय कटारिया व श्री राजन मीना एवं एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि. 02, रामजीत सिंह कानि. 206, श्री नरेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के साथ दो प्राइवेट वाहन मय चालक महेश चन्द कानि. तथा श्री भास्कर हैड कानि0 59, भगवान सिंह कानि. 125, भीमसिंह कानि. 192 व परिवादी श्री धर्म सिंह मीना परिवादी की गाडी से रवाना कर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब राजगढ के लिये रवाना हुआ तथा श्री कपिल सोमवंशी, वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में मुनासिब हिदायत के साथ छोडा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 3.30 पी.एम मन् अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा पटायरी की डूंगरी महात्मा ज्योतीबाराव फूले पार्क राजगढ के पास पहूंचा, परिवादी ने रास्ते में मन् अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस को बताया था कि मैनें मेरे किसी जानकार से फोन कर श्री रामहेत बैरवा बाबू के बारे में जानकारी करवाई है, जो आज पटायरी की डूंगरी महात्मा ज्योतीबाराव फूले पार्क राजगढ में लग रहे कैम्प में ड्यूटी है और यह भी बताया कि वह मेरी पत्नी की उपस्थिति में ही पटटा देगा इसलिए मैने मेरी पत्नी को फोन कर पटायरी की डूंगरी महात्मा ज्योतीबाराव फूले पार्क राजगढ में लग रहे कैम्प के आस पास मिलने के लिए कह दिया है मेरी पत्नी वहा मिल जायेगी। वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर खडे हो गये जिस पर डिजिटल टेपरिकॉर्ड श्री भगवान सिंह कानि. से चालू करवाकर सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत कर परिवादी को आरोपी रामहेत बैरवा, बाबू के पास पटायरी की डूंगरी महात्मा ज्योतीबाराव फूले पार्क में लग रहे कैम्प में रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये पटायरी की डूंगरी महात्मा ज्योतीबाराव फूले पार्क के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात वक्त करीब 4.36 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री धर्मसिंह मीना पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति मीना, उम्र 36 साल निवासी विकास कॉलोनी (रैबार पुरा रोड) राजगढ अलवर ने कस्बा राजगढ में पटायरी की डूगरी महात्मा ज्योतीबाराव फूले पार्क राजगढ मे लगे शहरी सेवा शिविर कैम्प में 4.36 पी.एम पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जिसको मन् अतिरिक्त पुलस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम सदस्यो द्वारा देखा गया। परिवादी का उक्त निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् अतिरिक्त पुलस अधीक्षक उपरोक्त दोनो मौतबिरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास शहरी सेवा शिविर कैम्प में पहूंचा। जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से पूर्व मे सुपुर्दसुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर टेपरिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसी दौरान एक व्यक्ति जो उक्त शहरी सेवा शिविर में एक चेयर बैठा हुआ था परिवादी श्री धर्मसिंह मीणा ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष उक्त व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया की ये ही रामहेत बाबू है जिसने अभी अभी मेरे से मेरी पत्नी के नाम एक एक प्लाट का पट्टा जारी करने के लिये 10000/-रूपये तथा दुसरे प्लॉट के कनवर्जन के आदेश जारी कराने हेतु 2000/-रूपये की शेष राशि कुल 12000/- रूपये रिष्वत के मांगकर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब में रख लिये इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी के बाताये अनुसार उक्त व्यक्ति के पास पहूंचा तो उक्त व्यक्ति अपनी कुर्सी छोडकर खडा हो गया। उक्त खडे व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर व आने का मन्तव्य बताकर स्टाफ की सहायता से उक्त व्यक्ति का दाहिना हाथ श्री भीम सिंह कानि. एवं बाया हाथ श्री भगवान सिंह कानि से पकडवाया जाकर उसको तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो वह घबरा गया कुछ नही बोला इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी को पुनः तसल्ली देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री रामहेत बैरवा पुत्र श्री धन्नालाल जाति बैरवा उम्र 54 साल निवासी 1-ग 15 काला कुऑ अलवर हाल प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा (सहायक कर्मचारी,) नगर पालिका राजगढ जिला अलवर होना बताया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रामहेत बैरवा से परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री रामहेत बैरवा ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो व परिवादी के समक्ष रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई शर्ट की

सामने की बाई जेब मे होना बताया इस पर आरोपी को दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यो के समक्ष ही परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि दिखाने के लिय कहा तो उसने अपनी जेब से परिवादी से प्राप्त की गई राशि बाहर निकालकर दिखाया जिसे मन एएसपी द्वारा वापस उसकी पहनी जेब में रखने को निर्देशित किया तथा मन एएसपी ने आरोपी श्री रामहेत बैरवा से पूछा की आपने परिवादी धर्मसिंह मीना से किस बात के 12000/-रूपये लिये हैं इस पर दोनो गवाहान एवं एसीबी स्टाफ के समक्ष आरोपी श्री रामहेत ने बताया की ये दिनांक 09.10.2025 को मेरे पास आया और इसने अपनी पत्नी के नाम एक प्लॉट का पट्टा बनवाने के लिये तथा इसकी पत्नी के नाम अन्य प्लॉट का कन्वर्जन आदेश देने के लिये बातचीत की तथा दोनो काम करवाने के लिये 15000/-रूपये की देने की बातचीत की इसके बाद ये दिनांक 10.10.2025 को सुबह पुनः मुझसे आकर मिला और मुझे 3000 रूपये देकर चला गया और मुझसे कहा की 12000/-रूपये आपको एक दो दिन में दे दूंगा। इसके बाद दिनांक 10.10.2025 को ही मेरे पास दुबारा आया और मुझसे पट्टे के लिये तथा कन्वर्जन आदेश के लिये बात की तो मैने उसे कन्वर्जन के आदेश की कॉपी दे दी और मुझसे कहा की सोमवार को 12000/-रूपये आप को दे जाउगा और पट्टा आपसे ले जाउगा और अभी थोडी देर पहले मै नगर पालिका से शिविर में आया तो मुझे ये अपनी पत्नी के साथ शिविर में ही मिल गया । इसकी पत्नी ने मुझे आधार कार्ड और फोटो दे दी इस पर मैने इसकी फाईल में तैयार शुदा पट्टे की तीन प्रतिया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये दे दी इसके बाद धर्मसिंह ने मुझे इसके कहे अनुसार बकाया 12000/-रूपये दिये तो मैने उक्त रूपये लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब में रख लिये और मै अपने काम में लग गया इतने मे ही आप आ गये । मैने इससे कोई रिश्वत की मांग नही की। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पास ही खडे परिवादी से पूछा तो बताया की साहब ये झूठ बोल रहा है। मैने मेरी धर्मपत्नी श्रीमती खेलन्ता के नाम से रेबार पुरा मोहल्ल धोला खोजा की कोठी राजगढ में वर्ष 2020 में रजिस्ट्री से 242 वर्ग गज प्लाट खरीदा था करीब एक माह पूर्व उक्त प्लॉट का पट्टा बनवाने के लिये मैने नगर पालिका राजगढ मे फाईल लगाई थी।नगर पालिका मे उक्त पट्टे के क्रम में दिनांक 3.10.2025 को 75978/-रूपये पट्टा राशि जमा कराने पर भी मेरा पट्टा नही बनाने पर दिनांक 9.10.2025 को नगर पालिका से संबंधित बाबू श्री रामहेत बाबू से मिला और मेरी पत्नी के नाम पट्टा जारी करने एवं मेरी पत्नी के नाम अन्य दूसरे प्लाट के कन्वर्जन के आदेश जारी करने के लिये बातचीत की तो श्री रामहेत ने मुझसे पट्टा जारी करने के लिये 10000/-रूपये तथा मेरी पत्नी के नाम दुसरे प्लॉट के कनवर्जन के आदेश जारी करने के लिये 5000/-रूपये कुल 15000/-रूपये की रिश्वत की मांग की और मुझसे कहा की कल सुबह आकर मिलना। इस पर मै दिनांक 10.10.2025 को सुबह आकर इनसे मिला तो इन्होने मुझसे 3000/-रूपये ले लिये और मुझसे कहा की शेष 12000/-रूपये के साथ सोमवार को अपनी पत्नी को साथ लेकर उसके आधार कार्ड व फोटो लेकर आ जाना तेरे पट्टे का काम कर देगे और मुझे दूसरे प्लाट के कन्वर्जन के संबंध में एक कागज दिया और कहा की इस आदेश से तेरा काम हो जायेगा। इसके बाद दिनांक 10.10.2025 को मै आपके कार्यालय मे आया और इस संबंध मे षिकायत पेश की जिस पर आपने षिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन के समय इसने मुझसे एक प्लाट का पट्टा जारी करने के लिये 10000/-रूपये तथा दुसरे प्लॉट के कनवर्जन के आदेश देने के लिये 2000/-रूपये की कुल 12000/-रूपये की मांग की तथा थोडी देर पहले आपके निर्देशानुसार मै इनको रिश्वत राशि देने के लिये उक्त कैम्प में आया तो मुझ ये नही मिले थोडी देर बाद ये कैम्प में आ गये और अपनी उक्त कुर्सी पर आकर बैठ गये। जिस पर मैने इनके पास आकर बातचीत की तो इन्होने मेरी पत्नी के हाथ से आधार कार्ड व फोटू लेकर हमारी पट्टे की फाईल पर कुछ लिखा पढी की और उस फाईल में से हमारे प्लाट की पट्टे की तीन कॉपी मुझे दी और मुझसे कहा की इनका रजिस्ट्रेशन करवा लेना इस पर इसने मुझे ईशारे से पैसो के लिये कहा तो मैने अपनी पेन्ट की दाहिनी जेंब में रखी हुई पाउडर युक्त 12000/-रूपये को निकालकर कहा की ये लो साहब आपके बाकी 12000/-रूपये तो इन्होने उक्त रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ से लेकर व गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब मे ं रख लिये जो अभी इनकी जेब रखे हुये। इसके बाद मैने आपको निर्धारित ईशारा कर दिया और आप लोग आ गये। इसके बाद आरोपी श्री रामहेत से पुनः पूछा तो वह कुछ नही बोला और चुप हो गया। मौके पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये शिवर का कार्य चल रहा है। आम जनता उपस्थित है। आम जनता का कार्य बाधित नही को मध्य नजर रखते हुये आरोपी के दोनो हाथ पकडे पकडे ही उक्त शिवर के एक कोने में खाली पडी टेबिल कुर्सी पर लाकर आरोपी श्री रामहेत को शालीन्ता से बैठाया गया तथा प्राईवेट वाहन से ट्रेप बॉक्स श्री भास्कर हैड कानि. से मंगवाया जाकर टेबिल पर रखवाया गया। तत्पश्चात उक्त शिविर में रखे कैम्पर से साफ पानी मे से एक बोतल में पानी भरवाकर श्री भास्कर हैड कानि 59 से मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री रामहेत बैरवा के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1, R-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे

गिलास के घोल में आरोपी श्री रामहेत बैरवा के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-1 , L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल में 32 जी.बी.सैनडिक्स एस.डी कार्ड लगवाई जाकर करवाई गई। जिसकी प्रथक से फर्द विडियों ग्राफी एवं डीवीडी व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की जावेगी। तत्पश्चात आरोपी श्री रामहेत बैरवा की तलाशी गवाह श्री राजन मीना से लिवाई गई तो आरोपी के पूर्व के कथनानुसार उसके बदन पर पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब में श्री राजन मीना से उक्त राशि निकालवाकर टेबिल पर रखवाये गये तो उक्त जेब से 500-500 रूपये की एक गड्डी मुडी हुई अवस्था में तथा 500-500 रूपये की एक अन्य गड्डी जिस पर रबर बेण्ड लगा हुआ था तथा कुछ नोट 100 के 20 व 10 मिले उक्त टेबिल पर रखी हुई राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने 500-500 रूपये की गड्डी जिसमें रबर बैण्ड लगा हुआ था को आज शिविर में प्राप्त हुई सरकारी राशि होना तथा अन्य 500-500 रूपये के नोटो को परिवादी श्री धर्मसिंह मीणा से ली गई रिश्वत राशि होना बताया तथा शेष 100 व 20 तथा 10 के नोटो को घर खर्च हेतु लाना बताया। इसके बाद आरोपी रामहेत के बताये अनुसार 500-500 रूपये के मुडे हुये नोटो को दोनो गवाहान से चैक करवाया गया तों दोनो गवाहान ने गिनकर बताया की 500-500 रूपय के 24 नोट कुल 12000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा होना बताया, इसके बाद उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि का मिलान दोनो गवाहान सें कार्यालय मे तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के विवरणो सें करवाया गया तो फर्द में अंकित नम्बरो व बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटो का मिलान सही होना बताया। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 24 नोट कुल 12000/- की बरामदशुदा रिश्वत राशि को एक सफेद कपडे की थैली मे रखवाया जाकर उक्त थैली मे एक सफेद कागज की चीट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करावये जाकर चीट को थैली में रखवाया जाकर उक्त थैली पर सभी संबंधितो व आरोपी श्री रामहेत बैरवा के हस्ताक्षर करवाया जाकर उक्त थैली को सील्ड मोहर कर मार्क टीएम (TM) अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।इसके बाद बाजार से नई टी-शर्ट मंगवाई जाकर मौके पर शिविर में आम नागरिक उपस्थित होने से आरोपी को उक्त प्रांगण में ही बने एक कमरे में ले जाकर आरोपी श्री रामहेत बैरवा को पहनने को दिया गया एवं आरोपी श्री रामहेत बैरवा के बदन पर पहनी हुई शर्ट को शिष्टाचार पूर्वक उतरवाई जाकर पुनः शिविर में आकर उक्त शर्ट की सामने की बाई जेब जिसमें रिश्वत की राशि बरामद हुई थी को एक नये पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे पानी से साफ करवाकर कैम्प में रखे कैम्पर से पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर श्री भास्कर हैड कानि. 59 से घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में आरोपी रामहेत बैरवा के बदन से उतरवाई गई शर्ट की सामने की बाई जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो धौवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे देखकर सभी ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धौवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा आधा भरवाकर शीशियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क S-1, S-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी के बदन से उतरवाई गई शर्ट जिसकी सामने की बाई साईड की जेब जिसे उल्टाकर धौवन लिया गया। उक्त जेब को सुखाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे थैली में रखकर सील मोहर का उक्त थैली पर सभी संबधितो के हस्ताकर करवाकर मार्क S अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में 32 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी का एस.डी कार्ड लगवाया जाकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 से करवाई गई। जिसकी पृथक से फर्द विडियों ग्राफी एवं पैन ड्राईव व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की जावेगी। उक्त कार्यवाही में रिश्वत लेन देन के वक्त हुई रूबरू वार्तालाप विभागीय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जिसे चालू कर सुना गया तो रिश्वत लेन देने की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई । रिकॉर्डर को बंद कर सुरिक्षत ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। जिसकी पृथक से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं पैन ड्राईव व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की जावेगी। उक्त कार्यवाही में परिवादी की पत्नी के नाम से प्लाट के पट्टे की तीन कॉपी आरोपी श्री रामहेत बैरवा द्वारा परिवादी को कैम्प मे दी गई, उक्त पट्टे फोटो प्रति परिवादी को पेश करने की कहने पर परिवादी द्वारा कैम्प के दौरान ही उक्त पट्टे एवं उक्त पट्टे के साथ सलंग्र प्लाट का नक्शा तथा परिवादी की पत्नी का आधार कार्ड व कार्यालय नगर पालिका राजगढ के पत्रांक 1782 दिनांक 9.10.2025 की फोटो कॉपी करवाकर पेश की, जिन पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर कर शामिल कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में रिश्वत राशि के अतिरिक्त बरामदशुदा 500-500 रूपये की गड्डी को जिस पर रबर बैण्ड लगा हुआ है को दोनो गवाहान से गिनवाया गया तो दोनो गवाहान ने गिनकर 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50000/-रूपये होना बताये । जिसके बारे में पुनः आरोपी से पूछा तो उक्त राशि सरकारी राशि होना ही बताया तथा जिस टेबिल पर काम कर रहा था उस पर उक्त राशि से संबंधित रसीद बुक होना बताया। उक्त रसीद बुक को शिविर में उपस्थित अन्य कर्मचारी से मंगवाया गया व उक्त कर्मचारी से उसका नाम पद पूछा तो उसने अपना नाम विकास भूषण भारद्वाज प्रारूपकार नगर पालिका राजगढ होना बताया। उक्त कर्मचारी से आरोपी के कब्जे से रिश्वत राशि के अतिरिक्त बरामद शुदा 50000/-रूपये की राशि के बारे मे पूछा तो बताया की नगर पालिका राजगढ में श्री रामहेत बैरवा भूमी/राजस्व शाखा प्रभारी होना बताया

तथा उक्त राशि शिविर के दौरान जमा करवाई गई राशि होना ही बताया उक्त राशि का मिलान उक्त रसीद बुक से दोने गवाहान से मिलान करवाया गया तो उक्त रसीद बुंक संख्या -2 की रसीद संख्या 84 पर आज दिनांक 13.10.2025 को श्री राजेश सैनी पुत्र श्री जगन प्रसाद सैनी द्वारा 49947/-रूपये जमा करवाना पाया गया। इस पर उपस्थित आरोपी ने बताया की उक्त राशि श्री राजेश सैनी ने आज ही जमा करवाई थी। उनके पास खुल्ले रूपये नही होने से पूरे 50000/-रूपये ही जमा करवाये गये है। उक्त बरामदशुदा राशि राजकीय राशि होने से उक्त राशि एवं रसीद बुक संख्या 2 को मौके पर उपस्थित श्री विकास भूषण भारद्वाज प्रारूपकार नगर पालिका राजगढ को सुपुर्द कर प्राप्ती हस्ताक्षर करवाये गये, तथा अन्य 430/-रूपये की राशि के क्रम में आरोपी का जवाब सन्तोषजनक पाये जाने पर आरोपी श्री रामहेत के कहे अनुसार श्री विकास भूषण भारद्वाज प्रारूपकार नगर पालिका राजगढ को दी गई। इसके बाद परिवादी श्री धर्मसिंह मीना व आरोपी श्री रामहेत को एक साथ आमने सामने कर पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया, इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील नम्बर 65 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। तत्पश्चात घटना स्थल पर सिविर प्रभारी श्री संतोष सैन को परिवादी की पत्नि श्रीमती खेलन्ता के नाम की पटटा पत्रावली व अन्य भूखण्ड के कन्वर्जन की पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के लिए कहा तो कर्मचारी ने बताया कि अधिशाषी अधिकारी राजगढ के पास लक्ष्मणगढ का अतिरिक्त चार्ज है जो कैम्प में लक्ष्मणगढ गये है तथा कन्वर्जन का रिकार्ड नगर पालिका में तलाश करवा कर उपलब्ध करवा दिया जायेगा। शिविर कर्मचारी को रिकार्ड बाबत आवश्यक निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 6.35 पी.एम घटना स्थल पर कैम्प लगने व पार्क होने से लाईट की रोशनी होने पर दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री धर्म सिंह मीणा की निशानदेही से घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 7.10 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री धर्म सिंह मीना, दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री संजय कटारिया व श्री राजन मीना एवं एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, रामजीत सिंह कानि. 206, नरेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री भास्कर हैड कानि0 59, सुण्डाराम हैड कानि. 02, भगवान सिंह कानि. 125, भीमसिंह कानि. 192, चालक महेश चन्द कानि. मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा दस्तयाबशुदा आरोपी श्री रामहेत बैरवा हाल प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा (सहायक कर्मचारी) नगर पालिका राजगढ जिला अलवर को साथ लेकर घटना स्थल पटायरी की डूंगरी महात्मा ज्योतीबाराव फूले पार्क राजगढ से दो प्राइवेट वाहन तथा परिवादी की गाडी से एसीबी चौकी अलवर के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 8.20 पी.एम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री धर्म सिंह मीना, दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री संजय कटारिया व श्री राजन मीना एवं एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि. 02, रामजीत सिंह कानि. 206, श्री नरेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री भास्कर हैड कानि0 59, भगवान सिंह कानि., भीमसिंह कानि. 192, चालक महेश चन्द कानि. मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा दस्तयाबशुदा आरोपी श्री रामहेत बैरवा हाल प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा (सहायक कर्मचारी) नगर पालिका राजगढ जिला अलवर को साथ लेकर पटायरी की डूंगरी महात्मा ज्योतीबाराव फूले पार्क राजगढ से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंचा। दस्तयाबशुदा आरोपी श्री रामहेत बैरवा हाल प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा (सहायक कर्मचारी) नगर पालिका राजगढ जिला अलवर को कार्यालय में स्टाफ की निगरानी में बैठाया गया व जप्तशुदा आर्टिकल कार्यालय में सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री धर्मसिंह मीना से आरोपी श्री रामहेत बाबू., भूमी/राजस्व शाखा प्रभारी, नगर पालिका राजगढ जिला अलवर द्वारा 12000/-रूपये रिश्वत मांगने पर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान श्री सुण्डाराम हैड कानि. द्वारा सरकारी मोबाईल में नया एसडी कार्ड Sandisk 32 GB डालकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लैपटॉप मे सेव करवाया गया, करवाई गई वीडियो ग्राफी की तीन पेन ड्राईव नई 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक के कबर मे रखकर पेनड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमशः C-1, C-2, अंकित कर पेन ड्राईव मार्क C-1 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन ड्राईव मार्क C-2 को अनुसंधान हेतु अनशील्ड रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर, उक्त कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD-1 अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा

वार्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। तत्पश्चात वक्त करीब 9.00 पी.एम परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी व आरोपी श्री रामहेत बैरवा, प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा (सहायक कर्मचारी) नगर पालिका राजगढ जिला अलवर के मध्य दिनांक 13.10.2025 को रिश्वत लेन-देन के समय रूबरू वार्ता के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय कम्प्यूटर/लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री धर्म सिंह मीना द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री रामहेत बैरवा हाल प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा (सहायक कर्मचारी) नगर पालिका राजगढ जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर/लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B1 B2 B3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री धर्म सिंह मीणा के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क B1 B2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव के साथ पृथक-पृथक एक सफेद कागज चिट पर सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 अंकित कर शील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B3 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त एसडी मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.10.2025 व रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 13.10.2025 रिश्वत लेनदेन वार्ता रिकॉर्ड है को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को शील्डमोहर कर उस पर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रामहेत बैरवा पुत्र श्री धन्नालाल जाति बैरवा उम्र 54 साल निवासी 1-ग 15 काला कुऑ अलवर हाल प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा (सहायक कर्मचारी) नगर पालिका राजगढ जिला के द्वारा परिवादी श्री धर्म सिंह मीना पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति मीणा निवासी विकास कॉलोनी, राजगढ अलवर से परिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती खेलन्ता के नाम से रेबार पुरा मोहल्ल धोला खोजा की कोठी राजगढ में वर्ष 2020 में रजिस्ट्री से 242 वर्ग गज प्लोट का पट्टा देने की तथा एक अन्य दुसरे प्लॉट के कन्वर्जन आदेश देने की एंवज में दिनांक 10.10.2025 को 3000/-रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा दिनांक 10.10.2025 को मांग सत्यापन के दौरान एक भू-खण्ड का पट्टा जारी करने की एवज में 10000/- तथा कन्वर्जन के आदेश देने के लिये 2000/-रूपये की कुल 12000/- तथा 3000/-रूपये लेने के तथ्य पाये गये तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 13.10.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आप द्वारा परिवादी से 12000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर ग्रहण व गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब में रखना तथा उक्त राशि पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब बरामद हुई है। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के तहत कारित किया जाने पर आरोपी के कृत्य के क्रम में बीएनएसएस 2023 में प्रावधानो के अनुसार गिरफतार करने का नोटिस जारी किया गया हस्ताक्षर करवा कर सूचित किया गया। तत्पष्चात वक्त करीब 11.10 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गवाहान के समक्ष एवं परिवादी की मौजुदगी में आरोपी श्री रामहेत बैरवा पुत्र श्री धन्नालाल जाति बैरवा उम्र 54 साल निवासी 1-ग 15 काला कुऑ अलवर हाल प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा (सहायक कर्मचारी) नगर पालिका राजगढ जिला अलवर को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द बाद हस्ताक्षर संलग्न पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना मौके पर उपस्थित आरोपी के पुत्र श्री नितिन को नियमानुसार दी गई। फर्द गिरफतारी शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 2.00 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही मे वजह सबूत को शिल्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर 65 को श्री भास्कर हैड कानि 59 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर षामिल कार्यवाही की गई। इस समय ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्ड माल वजह सबूत समस्त को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुरक्षित हालात में मालखाना में जमा कराने हेतु दुरूस्त हालत मे सम्भलाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 10.00 ए.एम पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष श्री सन्तोष मीणा, कनिष्ठ सहायक नगर पालिका राजगढ ने उपस्थित होकर नगर पालिका राजगढ के कार्यालय पत्रांक 1978 दिनांक 14.10.2025 से आरोपी का सेवा विवरण प्राप्त किया जिसे शामिल कार्यवाही किया गया तथा आरोपी श्री रामहेत बैरवा प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा (सहायक कर्मचारी,) नगर पालिका राजगढ जिला

अलवर की गई ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री धर्मसिंह मीणा से संबंधित दस्तावेज/पट्टा पत्रावली जरिये पत्रांक 1805 दिनांक 14.10.2025 से मूल पत्रावली उक्त मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति व परिवादी के द्वारा नगर पालिका मण्डल राजगढ में खसरा नम्बर 1430, 1431 राजस्व ग्राम कारोठ के कन्वर्जन लेटर लेने के लिये श्रीमती खेलन्ता के नाम से लगाये गये आवेदन की प्रमाणित प्रति एवं कार्यालय नगर पालिका मण्डल राजगढ का कार्यालय आदेश पत्रांक 4890-92 दिनांक 28.02.2025 जिसके क्रम संख्या 12 पर श्री रामहेत बैरवा को कृषि भूमि पट्टा शाखा एवं प्रधानमंत्री आवास योजन का प्रभारी बनाया गया है तथा आदेश क्रमाक 1531 दिनांक 15.09.2025 को षिविर कार्यक्रम जारी करने का आदेश मे जिसके क्रम संख्या 04 पर ज्योतीबा फूले पार्क राजगढ में दिनांक 13.10.2025 व 14, 15, 16, 17.10.2025 को कैम्प की तारीखो का अंकन किया गया है तथा उपरोक्त कैम्प के लिये कार्मिकों की ड्यूटी चार्ज के क्रम संख्या 03 पर श्री रामहेत बैरवा भूमि शाखा प्रभारी की ड्यूटी लगाने का अंकन किया गया की प्रमाणित प्राप्त की जिन पर अधिषाषी अधिकारी नगर पालिका राजगढ के हस्ताक्षर है तथा परिवादी श्री धर्मसिंह मीणा की धर्मपत्नी श्रीमती खेलन्ता मीणा के रैबार पुरा मोहल्ला राजगढ स्थित भू-खण्ड की पट्टा पत्रावली मूल व प्रमाणित प्रति पेश की जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 01 से 07 तक नोटषीट संधारित है, जिसके पृष्ठ संख्या 1 से 4 तक पट्टा जारी करने की प्रक्रिया का अंकन है तथा पृष्ठ 5 से 7 खाली है। नोटशीट के पैरा नम्बर 15 पर उक्त पट्टे की राशी की गणना की गई है तथा पैरा नम्बर 17 पर पट्टा राशी 75978/- रूपये दिनांक 3.10.2025 जमा कराने का अंकन किया गया है तथा पैरा नम्बर 19 दिनांक 3.10.2025 पर शाखा प्रभारी द्वारा पट्टा तैयार कर हस्ताक्षर हेतु पेश किया हुआ है तथा पत्रावली अधिषाषी अधिकारी को मार्क की हुई है। पैरा 20 से अधिशाशी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष को मार्क किया गया है तथा पैरा 21 एन से अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये हुये है। पत्रावली के पृष्ठ संख्या 08 पर उप पंजीयक राजगढ को पत्रांक 1782 दिनांक 9.10.2025 जारी किया गया है जिसमें पट्टा क्रमांक 10 दिनांक 8.10.2025 जो की श्रीमती खेलन्ता मीणा, पत्नी श्री धर्मसिंह मीणा के नाम का अंकन कर पट्टो की तीन प्रतिया पंजीयन हेतु प्रेषित करना अंकन किया है तथा उक्त पत्र पर ही श्रीमती खेलन्ता के हस्ताक्षर करवाकर मूल पट्टे की तीन प्रतियां दिये जाने का अंकन किया गया है। पृष्ठ संख्या 10 पर उक्त पट्टा क्रमांक 10 की कार्यालय प्रति लगी हुई है, जिसके अनुसार श्रीमती खेलन्ता मीणा के नाम दिनांक 18.10.2025 को ही पट्टा जारी किया गया है जिस पर अध्यक्ष नगर पालिका राजगढ व अधिषाषी अधिकारी नगर पालिका राजगढ व पट्टा धारक के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त विक्रम पत्र आदि मूल लगे हुये है, तथा राजस्व रिकॉर्ड लगा हुआ है। उक्त पत्रावली 1 से .41 तक है, जिसका मूल का मिलान प्रस्तुत प्रमाणित रिकॉर्ड से करवाया जाकर सही होने पर मूल पत्रावली उपस्थित श्री सन्तोष मीणा, कनिष्ठ सहायक को लौटाई जाकर प्राप्ती हस्ताक्षर प्राप्त किये गये तथा उक्त रिकॉर्ड/आदेषों की प्रमाणित फोटो प्रतियों पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया।अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से परिवादी श्री धर्म सिंह मीना की लिखित रिपोर्ट दिनांक 13.10.2025 पर आयोजित की गई ट्रैप कार्यवाही के दौरान उजागर हुये तथ्यो के आधार पर आरोपी श्री रामहेत बैरवा हाल प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा (सहायक कर्मचारी) नगर पालिका राजगढ जिला अलवर द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर परिवादी श्री धर्म सिंह मीना पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति मीणा निवासी विकास कॉलोनी, राजगढ अलवर से परिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती खेलन्ता के नाम से रेबार पुरा मोहल्ल धोला खोजा की कोठी राजगढ में वर्ष 2020 में रजिस्ट्री से 242 वर्ग गज प्लॉट का पट्टा देने की तथा एक अन्य दुसरे प्लॉट के कन्वर्जन आदेश देने की एंवज में दिनांक 10.10.2025 को 3000/-रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा दिनांक 10.10.2025 को मांग सत्यापन के दौरान एक भू-खण्ड का पट्टा जारी करने की एवज में 10000/- तथा कन्वर्जन के आदेश देने के लिये 2000/-रूपये की कुल 12000/- तथा 3000/-रूपये लेने के तथ्य पाये गये तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 13.10.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आप द्वारा परिवादी से 12000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर ग्रहण व गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब में रखना तथा उक्त राशि पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब में रखना उक्त राशि आरोपी के कब्जे से बरामद होना स्पष्ट रूप से पाया गया है। आरोपीगण श्री रामहेत बैरवा पुत्र श्री धन्नालाल जाति बैरवा उम्र 54 साल निवासी 1-ग 15 काला कुऑ अलवर हाल राजस्व/भूमि शाखा प्रभारी (सहायक कर्मचारी,) नगर पालिका राजगढ जिला अलवर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है ।(महेन्द्र कुमार)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम,अलवर। ....कार्यवाही पुलिस..............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामहेत बैरवा पुत्र श्री धन्नालाल जाति बैरवा उम्र 54 साल निवासी 1-ग 15 काला कुऑ अलवर हाल राजस्व/भूमि शाखा प्रभारी (सहायक कर्मचारी,) नगर पालिका राजगढ जिला अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रमेशचन्द रैगर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया

है। उक्त की रोजनामचाआम 462 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1536-39 दिनांक 15.10.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर, 2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर-प्रथम, 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAMESHCHAND RAIGAR **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb Impression of the complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,In
Date: 1?/10/2025 0? ?6

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/07/1971				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)